



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023 (ASVINA 28, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

संख्या 59/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(अ) अनुसूची I-2.5% में,

(i) क्रम संख्या 92 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्रीअन्न के आटे से निर्मित खाद्य पदार्थ, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्रीअन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो";

(आ) अनुसूची III - 9% में,-

(i) क्रम संख्या 13 के सामने, खाना (3) में, "शीर्ष 1905 के बेकर्स वेयर्स निर्माण के लिए मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के बेकर्स वेयर्स निर्माण के लिए मिश्रण और गुंधे हुए आटे; श्रीअन्न के आटे से निर्मित खाद्य पदार्थ, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्रीअन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो, से भिन्न" शब्द, अंक और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (ii) क्रम संख्या 25 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

- (इ) अनुसूची IV – 14% में, क्रम संख्या 1 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 20th October, 2023

No. 59/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

- (A) in Schedule I – 2.5%, -

- (i) after serial number 92 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"92A.	1703	Molasses";

- (ii) after serial number 96 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled";

- (B) in Schedule III – 9%,

- (i) against serial number 13, under column (3), for the words and figures "of heading 1905", the words, figures and sign "of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled" shall be substituted;

- (ii) after serial number 25 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use";

- (C) in Schedule IV – 14%, serial number 1 and entries thereagainst shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.